भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

फा. सं. 5(1)/2022/संरास- हिन्दी

दिनांक 14 जनवरी, 2022

सेवा में,

आईसीएआर के अधीनस्थ सभी संस्थानों, निदेशालयों,ब्यूरो, केन्द्रों, अटारी के निदेशक

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कृपया संसदीय राजभाषा समिति के दिनांक 22 दिसंबर, 2021 के पत्र सं 11011/1/2021-स-2 का अवलोकन करें। संसदीय राजभाषा समिति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संलग्न निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। संबंधित पत्र संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

सीमा चोपड़ा
14.12.22

(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (राजभाषा)

महत्वपूर्ण/संसदीय मामला

संसदीय राजभाषा समिति

11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली -110011

पत्रांक: 11011/1/2021-स-2

दिनांक: 22-12-2021

सेवा में,

सचिव

भारत सरकार

(संलग्न सूची अनुसार)

सचिव (डेयर) एवं म.नि. (भा.कृ.अनु.प.) का कार्यालय
Office of Secy. (DARE) & DG (ICAR)
Office Dy. No. 961134
Date 27/12/2021

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति की संबंध में।

महोदया/महोदय,

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति की माननीय संयोजिका प्रो० रीता बहुगुणा जोशी के संज्ञान में आया है कि समिति की निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय/विभाग/मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय से अपेक्षित अधिकारियों के अलावा कई ऐसे अधिकारी बैठक में उपस्थित रहते हैं जिन्हें केवल कार्यालयों द्वारा समिति द्वारा अपेक्षित अधिकारियों के सहयोगार्थ तैनात किया जाता है जिनका समिति निरीक्षण बैठकों में उपस्थिति होना समिति की अपेक्षानुसार नहीं है।

अत: अनुरोध है कि निरीक्षण के समय केवल निरीक्षणाधीन कार्यालयों के प्रधान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं उनके मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो तथा जो राजभाषा नीति का कार्यान्वयन संबंधी कार्य देखते हों अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने समिति की प्रश्नावली में हस्ताक्षर किए हो, ऐसे अधिकारी ही बैठक में उपस्थित रहें, ताकि समिति की मर्यादा के अनुकूल निरीक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाए कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपेक्षित अधिकारियों का निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होना संभव न हो तो इस संबंध में अनुमति प्राप्त करने के लिए समस्त कारणों का उल्लेख करते हुए एक अनुरोध पत्र सचिव (समिति) को समय से भेजा जाए।

भवदीय

22/12/21

(धर्मराज खटीक)

सचिव (समिति)

दूरभाष: 23012933

Secy, DDG in notes

AS (D) — in leave

Dir. (OL)

30.12.21

प्रतिलिपि:

प्रो० रीता बहुगुणा जोशी, मा० संयोजक, दूसरी उपसमिति, संसदीय राजभाषा समिति एवं संसद सदस्य (लोक सभा) – सूचनार्थ

उप निदेशक (रा.भा.)

10/01/2022

सहायक निदेशक (रा.भा.) / मु.तक. अधि.

पत्रांक: 11011/1/2021-स-2

दिनांक:22-12-2021

दूसरी उपसमिति के मंत्रालयो/विभागो की सूची:

1. रेल मंत्रालय
2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
3. दूरसंचार विभाग
4. डाक विभाग
5. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
6. नागर विमानन मंत्रालय
7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
8. जल शक्ति मंत्रालय
9. उपभोक्ता मामले विभाग
10. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
11. विद्युत मंत्रालय
12. नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय
13. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
14. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)
15. मत्स्यपालन विभाग
16. पशुपालन और डेयरी विभाग
17. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
18. अंतरिक्ष विभाग
19. पर्यटन मंत्रालय
20. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय